रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062020-219743 CG-DL-E-05062020-219743

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1577] No. 1577] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2020/ज्येष्ठ 15, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2020/JYAISTHA 15, 1942

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

का.आ. 1759(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मोटर यान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थातु:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—
  - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर यान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) संशोधन आदेश, 2020 है।
  - (2) यह 1 अक्तूबर, 2020 से प्रवृत्त होगा।
- 2. मोटर यान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2018 के पैरा 6 के उपपैरा (ix) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा,

"परंतु बीएस 6 उत्सर्जन सन्नियमों का पालन करने वाले यानों की तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट के शीर्ष पर 1 से.मी. की हरी पट्टी होगी"।

[फा. सं. आरटी-11028/01/2018-एमवीएल)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

2408 GI/2020 (1)

टिप्पण:- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 6052(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2018 में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1018(अ), तारीख 25 फरवरी, 2019 द्वारा किया गया।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2020

- **S.O.** 1759(E).—In exercise of the powers conferred by the sub section (3) of Section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following order further to amend the Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Order, 2018, namely:—
- **1. Short tile and commencement.**—(1) This Order may be called as the Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Amendment Order, 2020.
  - (2) It shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2020.
- 2. In the Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Order, 2018, in paragraph 6, in sub-paragraph (ix) in clause (a), the following proviso shall be inserted,

"Provided that, vehicles complying with BS VI emission norms shall have a 1 cm green strip at the top in the third registration plate".

[F. No. RT-11028/01/2018-MVL] PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note:-** The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 6052(E) dated 6<sup>th</sup> December, 2018, published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, and last amended vide S.O. 1018 (E) dated 25<sup>th</sup> February 2019.